भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

21 FEB 2023

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AH 726382

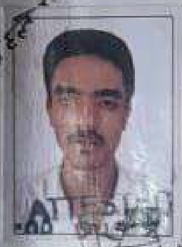
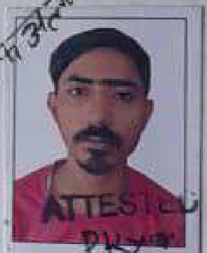

(ट्रस्ट डीड)

मैं मो0 वैश शाह पुत्र एहसान अली शाह निवासी–मोहल्ला पूरे जामी तहसील रूदौली जनपद अयोध्या (उ0प्र0) की दिली ख्वाहिश है कि समाज के गरीब, बेसहारा व बेरोजगार

मो. वैश शाह

क्र० सं० 1600 दिनांक 05/08/2024

वास्ते [illegible] शान रोजगार उत्थान व वेलफेयर ट्रस्ट

धनराशि 500/-

नाम मो० वैश शाह पुत्र/पत्नी रहसान अली शाह

निवासी मोहल्ला [illegible] जिलामी कस्बा व परगना व

तहसील रुदौली जिला अयोध्या

मो० फैजान स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस 173
कार्यालय उप निबन्धक परिसर
तहसील–रुदौली जिला–अयोध्या

मो० फैजान

कार्यालय उप निबन्धक
सत्यमेव जयते
तहसील रुदौली जिला-अयोध्या

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
Rs. 500
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

AH 726383

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21 FEB 2023

2

लोगो के लिए एक ट्रस्ट कायम करे, जिसका मुख्य उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना, सामाजिक उत्थान एवं जनउपयोगी कार्य होगा। जिसके लिए कुछ मोअज्जिज शख्सियतों व शुभचिन्तको से सलाह व मशविरा से एवं अल्लाह (ईश्वर) की कृपा से आज दिनाकं 05.08.2024 को ''शान रोजगार उत्थान व वेलफेयर ट्रस्ट'' की घोषणा कर रहा हूँ।

''शान रोजगार उत्थान व वलेफेयर ट्रस्ट'' की स्थापना करने के लिए प्रारम्भ में 11,000/– (ग्यारह हजार रूपया मात्र) ट्रस्ट को समर्पित कर रहा हूँ, जो उक्त ट्रस्ट की स्थायी निधि होगी। सभी प्रकार के कोष, किराया, दान, अनुदान, प्रतिभूतियों, चन्दा आदि को मिलाकर ट्रस्ट का स्थायी कोष कहलायेगा। जिसको ट्रस्ट के उद्देश्यो के लिए प्रयोग किया जायेगा। वर्तमान में इस ट्रस्ट के पास 11,000/– (ग्यारह हजार रूपये मात्र) के अतिरिक्त कोई चल–अचल सम्पत्ति नही है। ट्रस्ट का नाम, पता, कार्यालय, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं नियमावली निम्न प्रकार होगी।

1. ट्रस्ट का नाम : शान रोजगार उत्थान व वेलफेयर ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का पता : मोहल्ला पूरे जामी तहसील रूदौली जनपद अयोध्या (उ0प्र0)

(इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार समय–समय पर

मो० वंशशाह

क्र0 सं0 1601 दिनांक 05/08/2024

रुपया 5001/- द्वारा

पुत्र श्री0 7० 1600 [?]

नाम परगना

निवासी जिला

तहसील

मो0 फैजान स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस 173

कार्यालय उप निबन्धक परिसर

तहसील-रुदौली जिला-अयोध्या

मो० फैजान

कार्यालय उप निबन्धक

सत्यमेव जयते

तहसील रुदौली जिला-अयोध्या

ट्रस्ट के प्रशासनिक/शाखा कार्यालय सम्पूर्ण भारतवर्ष में कही भी खोले जा सकते है।)

3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष।

4. **ट्रस्ट का उद्देश्य :**

1. ट्रस्ट द्वारा बेरोजगारो के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना एवं उनको रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. ट्रस्ट द्वारा प्राथमिक से उच्च स्तर तक की शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, संचालन एवं प्रबन्धन करना।
3. ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना।
4. ट्रस्ट द्वारा सर्वसमाज के लोगों को निःशुल्क धार्मिक यात्रा करवाना एवं उनको सहयोग प्रदान करना।
5. ट्रस्ट द्वारा गरीब, बेसहरा व असहाय लोगो के लिए बिना ब्याज पर लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना जिससे उनके रोजगार में उत्थान हो सके।
6. ट्रस्ट द्वारा अग्रेजी माध्यम के समस्त विद्यालयों (सीबीएससी/आईसीएससी आदि) की स्थापना कर संचालन एवं प्रबन्धन करना।
7. ट्रस्ट द्वारा बालक एवं बालिकाओं को हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था करना।
8. ट्रस्ट द्वारा पैरा मेडिकल, मेडिकल कालेज, चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं चिकित्सालय आदि की स्थापना, संचालन एवं प्रबन्धन करना।
9. ट्रस्ट द्वारा अल्पसंख्यक बच्चों और बच्चियों के लिए दीनी दुनयावी तालीम दिलवाना एवं प्रशिक्षण के लिए संस्थान की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।
10. गरीब और निराश्रित बच्चों बच्चियों के लिए निःशुल्क तालीम की व्यवस्था करना।
11. ट्रस्ट द्वारा कृषि कार्यो एवं कृषको के कल्याण हेतु संस्थाओं जैसे कृषि विद्यालय, महाविद्यालय आदि की स्थापना, संचालन एवं प्रबन्धन करना।
12. ट्रस्ट द्वारा भारत के संविधान की धारा 29 में दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के काल कलचर एवं शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करना।
13. भारत के संविधान की धारा 30 (1) के तहत दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत अल्पसंख्यक चरित्र वाले स्कूल विद्यालयों सभी प्रकार के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनका प्रबंधन करना।
14. ट्रस्ट द्वारा साम्प्रदायिकता के विनाश एंव राष्ट्रीय एकता अखण्डता एवं बन्धुत्व के प्रचार हेतु सांस्कृतिक कार्य का आयोजन करना।
15. ट्रस्ट द्वारा छात्रों एवं असहाय गरीब विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, आवास, निःशुल्क भोजन तथा वस्त्र आदि की व्यवस्था करना।
16. ट्रस्ट द्वारा स्वास्थ्य सेवाओ के विकास हेतु कार्य किया जायेगा एवं गरीब, निर्धन लोगो के उपचार हेतु चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी।
17. ट्रस्ट द्वारा दहेज प्रथा उन्मूलन, वृक्षारोपण, देशाटन, जनजागृति एवं मानव जाति के सर्वाणीय विकास हेतु प्रदर्शनी, नाटक, नुक्कड सभा, जागरुकता शिविर, शिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर रोजगार कराना।

मो० वसीम

कार्यालय उप निबन्धक

सत्यमेव जयते

तहसील रुदौली जिला-अयोध्या

18. ट्रस्ट द्वारा समाज के उत्थान के लिए हेतु गोष्ठी, सेमिनार आदि का आयोजन करना।
19. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न धर्मो/सम्प्रदायों के बीच आपसी भाईचारा स्थापित करने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयाजे न करना एव ं उनका प्रचार प्रसार करना।
20. ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के प्रति आम जन में जागरूकता और उत्साह पैदाकर साक्षरता अभियान को सफल बनाने में सरकार का सहयोग करना।
21. ट्रस्ट द्वारा शैक्षिक, नैतिक एव ं सामाजिक स्तर के सुधार हेतु लागों में जागरूकता कार्यक्रम करना।
22. ट्रस्ट द्वारा प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा में भरपरू मदद व सहयोग करना।
23. ट्रस्ट द्वारा लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की व्यवस्था करना तथा उसका संचालन करना।
24. ट्रस्ट द्वारा वृद्धाआश्रम का संचालन एवं प्रबन्धन करना एवं वृद्धा आश्रम के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को प्राप्त करना।
25. ट्रस्ट द्वारा बालक, बालिकाओं एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टंकण, आशुलिपि कम्प्यूटर, शार्टहैण्ड, फोटोग्राफी आदि का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।
26. ट्रस्ट द्वारा बालगृह (यतीमखाना) की स्थापना करना एवं सरकार से मिलने वाली सुविधाये प्राप्त करना।
27. ट्रस्ट द्वारा समय समय पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना तथा उसके माध्यम से लोगों को चिकित्सीय लाभ पहुचाना।
28. ट्रस्ट द्वारा गम्भीर बीमारियो से पीड़ित गरीबों की चिकित्सा हेतु सहयोग प्रदान करना एवं उनको उस बीमारी की दवाओं को उपलब्ध कराना।
29. ट्रस्ट द्वारा असाध्य टी0बी0/एच0आई0वी/एड्स जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने एवं उससे बचाव के लिए लोगों में जागरूकता कार्यक्रम चलाना। ट्रस्ट द्वारा टी0बी0 के उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम टी0बी0 मिशन में भाग लेना तथा तय सीमा तक इसके उन्मूलन हेतु संपर्ू ण प्रयास करना तथा जनसामान्य को इसमें शामिल करना।
30. ट्रस्ट द्वारा मानव–समाज के जीवन रक्षा हेतु भारत सरकार व प्रदेश सरकार के सहायता द्वारा अत्याधुनिक औषाधालयों/चिकित्सालयों की स्थापना व संचालन तथा उसमें समाज के लाचार, गरीब, असहाय, निराश्रित लोगो के लिए निःशुल्क चिकित्सा–व्यवस्था, दवा एवं जॉच केन्द्र की सुविधा प्रदान कर सेवा करना तथा असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों की हर सम्भव मदद करना।
31. ट्रस्ट द्वारा बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना व उक्त व्यवसाय अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना एवं उन्हें हर सम्भव सहायता देना।

मो० वसी शाद

कार्यालय उप निबन्धक

सत्यमेव जयते

जिला-अयोध्या

32. ट्रस्ट द्वारा समाज मे व्याप्त दहेज, अंधविश्वास, दहेज उत्पीडन, मद्य निषेध, नशाखोरी, शारीरिक शोषण, भष्ट्राचार, आदि की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा शासन–प्रशासन की मदद से समाज में हो रहें अपराधों जैसे–नशा, जुआ, सट्टा आदि को रोकने के लिए कार्य करना। विशेषकर बच्चों को परिवार से मिलाने, उनके पुनर्वास और उनकी काउंसलिंग के संस्थागत प्रयास करना।

33. ट्रस्ट द्वारा समय समय पर सरकार के सहयोग से रक्तदान हेतु शिविरों का आयोजन करना।

34. ट्रस्ट द्वारा निर्धन एवं असहाय मरीजो के लिए एम्बुलेन्स की व्यवस्था कराना।

35. ट्रस्ट द्वारा विकलागों मूक बधिरों, नेत्रहीनों, मंद बुद्धि, मानसिक रोगियों व कुष्ठ रोगियो के कल्याण हेतु सामाजिक शैक्षिक एव आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा व समान अवसर अधिकार संरक्षण व पूर्ण भागीदारी पर जोर देना ताकि शिक्षा तकनीकी, शिक्षा रोजगारपरक प्रशिक्षण व अनुसंधान आदि की व्यवस्था करना, जिससे कि ये लोग भी समाज में प्रतिस्थापित हो और स्वावलम्बी बन सकें।

36. ट्रस्ट द्वारा समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग महिला कल्याण विभाग, नेडा, शिफसा, यूनेस्को, यू0एन0डी0पी0, कपार्ट, यूनिसेफ, सिडवी, नाबार्ड, मानव संसाधन मंत्रालय, वनविभाग, विकलांग एवं कुष्ठ विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग, ट्राइसेम, सूडा, डूडा, जलनिगम जलसंसाधन, खादी ग्रामाद्ये ेग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, महिला कल्याण निगम से सभी प्रकार की योजनाओं/कार्यक्रमों को प्राप्त करना एवं उसका संचालन व प्रबन्धन करना।

37. ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी अर्द्ध सरकारी विभागों व्यक्ति/व्यक्तियो स्वंय सेवी संगठनों से परियोजना सम्बन्धी परामर्श वअनुदान प्राप्त करना तथा उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।

38. ट्रस्ट द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना तथा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए लोगो को जागरूक करना।

ट्रस्ट नियमावली

5. ट्रस्ट के धन का विनियोग –

1– ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर विधान की धाराओं एवं अन्य सम्बन्धित प्रावधानों के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा ।

2– उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना एवं व्यय करना, सहायता लेना व देना, ब्याज रहित व ब्याज सहित ऋण लेना व देना, निर्माण करना, रेहन रखना, लीज पर देना व लेना, बैंक व्यवहार करना एवं जो भी आवश्यक कार्य हों उन्हें करना।

3– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश–विदेश से दान व ऋण, कय विनियम,

कार्यालय उप निबन्धक

सत्यमेव जयते

तहसील रुदौली, जिला-अयोध्या

किराये पर या अन्य किसी प्रकार से भूखण्ड या कोई चल या अचल सम्पत्ति को क्रय करना एवं आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसका विक्रय भी करना।

4– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का क्रय, विक्रय, प्रबन्ध हस्तांतरण, विनियम, बंधक, दृष्टि बंधक, पट्टे, गिरवी या किसी भी भांति से उपयोग में लाना।

5– अपने समस्त कार्यों हेतु ट्रस्ट के धन का विनियोग करना जो ट्रस्ट एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों के हित में हो, अर्थात् लाभकारी हों।

6– यह ट्रस्ट चेरिटेबल ट्रस्ट है जो भविष्य में कभी भी भंग नही किया जायेगा।

3. ट्रस्ट मण्डल

1– ट्रस्ट का एक स्थायी मण्डल होगा, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 02 (दो) होगी, जो भविष्य में घटाई व बढ़ायी भी जा सकती है।

2– ट्रस्ट में नामित सदस्यों की नियुक्ति भी आवश्यकतानुसार की जा सकती है।

3– ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यकाल आजीवन होगा और उनके मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता जिससे वे कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सकें, से ग्रसित होने पर उनका प्रथम कानूनी उत्तराधिकारी उनके परिवार से ही नामित व्यक्ति होगा।

4– किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकते है।

5– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सरकारी/गैर सरकारी मामलों में अथवा किसी वित्तीय संस्था या बैंक से ऋण लेने की दशा में संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा समस्त दस्तावेजों का निष्पादन किया जायेगा।

6– ट्रस्ट के स्थायी, अस्थायी एवं नामित सदस्यों की नियुक्ति संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

7– किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा किया गया निर्णय ही मान्य होगा।

8– ट्रस्ट मण्डल (कोरम) के द्वारा लिये गये सभी निर्णयों एवं कार्यों का कियान्वयन ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति के बाद ही मान्य होगा।

9– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष की अनुमति से ट्रस्ट मण्डल (कोरम) विभिन्न समूहों (यूनिटों) का गठन कर सकेगा।

10–ट्रस्ट मण्डल संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुमोदन से ट्रस्ट के कार्यों के सुचारू रूप से कियान्वयन हेतु नियमावली बना सकता है एवं उसे जारी कर सकता है।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ (ट्रस्ट मण्डल) के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1– पूर्व मीटिंग की कार्यवाही की स्वीकृति देना।

मो० वसी शाह

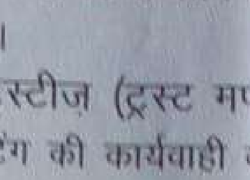

कार्यालय उप निबन्धक

सत्यमेव जयते

तहसील रुदौली जिला-अयोध्या

2– ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करवाना एवं उस पर विचार करके उसे पास करना।

3– आगामी वर्ष के बजट पर चर्चा करके उसे पास करना।

4– ट्रस्ट की नियमावली में संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा किये गये संशोधन को ट्रस्ट के हित में मंजूरी देना।

5– किसी ऐसे मामले के बारे में कार्यवाही करना जिसे कार्यवाही हेतु मीटिंग में पेश किया गया हो।

6– किसी विशेष आवश्यकता के लिए संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से सब कमेटी बनाना।

7– ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

8– ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए हर वो कार्य करना जिससे ट्रस्ट का लाभ हो।

9– ट्रस्ट को आगे बढ़ाने के लिए आयकर अधिनियम 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एसी के अर्न्तगत रजिस्ट्रेशन कराना व उनसे मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त करना।

10– आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन करना।

8. ट्रस्ट मण्डल :– संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष की अध्यक्षता के अन्तर्गत कार्य करने वाले ट्रस्ट समूह,'ट्रस्ट मण्डल' कहलायेगा।

9. बैठकः– ट्रस्ट मण्डल की सामान्य बैठक कभी भी तीन दिवस की लिखित सूचना पर एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व लिखित सूचना पर बुलाई जा सकती है।

10. कोरमः– बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के कुल वैध सदस्यों में से 2/3 सदस्यो की उपस्थिति कोरम मानी जायेगी, जिसमें संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

11. ट्रस्ट की सदस्यता की शर्ते–

हर वह व्यक्ति इस ट्रस्ट का सदस्य हो सकता है जो किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो, पागल अथवा दिवालिया घोषित न हो। ट्रस्ट के नियमो के अनुसार कार्य व्यवहार हो, उसको संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा आजीवन/सामान्य सदस्य बनाया जा सकता है।

12. ट्रस्टीज़ के प्रकार–

1– आजीवन सदस्य– जो व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा निर्धारित एकमुश्त 5000/–रू0 सदस्यता शुल्क अदा करेगा वह संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा बनाने की मंजूरी प्रदान की जायेगी, वह ट्रस्ट का आजीवन सदस्य होगा, उसका कार्यकाल आजीवन होगा।

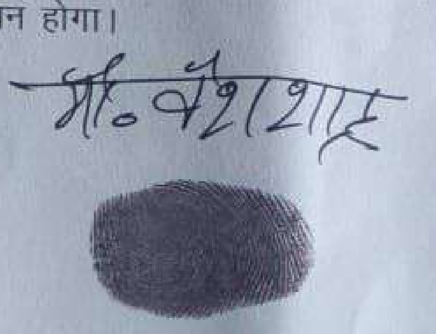

कार्यालय उप निबन्धक

जयते

रुदौली, जिला-अयोध्या

2– सामान्य सदस्य– जों व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा निर्धारित नियमानुसार 1000/–वार्षिक सदस्यता शुल्क अदा करेगा वह संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष के हस्ताक्षर से उसको सदस्य बनाने की मंजूरी प्रदान की जायेगी और उसका कार्यकाल मात्र एक वर्ष का होगा, उसका कार्यकाल भी बढा या जा सकता है यदि वह ट्रस्ट हित में कार्य कर रहा है।

13. रिक्त स्थानों की पूर्ति:– ट्रस्ट मण्डल के अन्तर्गत समय से पहले अचानक किसी पदाधिकारी या सदस्या` का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष की अनुमति से शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए की जायेगी एवं कार्यकाल पूरा होने पर पुनः उस पद के लिए उसका चयन किया जा सकता है। ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यकाल आजीवन होगा और उनके मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता जिससे वे कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सकें, से ग्रसित होने पर उनका प्रथम कानूनी उत्तराधिकारी उनके परिवार से ही नामित व्यक्ति होगा।

14. ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :–

संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष

1. सभी प्रकार के बैठको की अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी होगा।
3. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
4. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना।
5. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु चल एवं अचल सम्पत्ति का कय करना एवं उसकी देख–रेख व सुरक्षा करना।
6. ट्रस्ट के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
7. ट्रस्ट के कार्यो का प्रचार प्रसार करना।
8. पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।
9. ट्रस्ट के हितों के विरूद्ध कार्य करने पर किसी भी सदस्य/पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
10. बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
11. कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवामुक्ति अध्यक्ष की सहमति से करना।
12. पारित बजट के अर्न्तगत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।
13. ट्रस्ट के सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना।
14. ट्रस्ट से जुड़ी प्रत्येक कमेटियों/यूनिटों (जिसमें प्रत्येक प्रकार की कमेटियाँ/यूनिटें सम्मिलित हैं) का संचालन एवं प्रबन्ध करना।
15. प्रशासकीय कार्यो के दायित्वों का निर्वाहन करना।
16. समस्त संस्थाओं/एजेंन्सियों/विभागों/मंत्रालयों से संबंधित समस्त प्रपत्रों पर

कार्यालय उप निबन्धक

सत्यमेव जयते

तहसील रुदौली जिला-अयोध्या

हस्ताक्षर करना।

17. समस्त, सदस्यों, कर्मचारियों को दायित्व सौंपना, उनके कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों में परिवर्तन, परिवर्धन करना।

18. बैंक खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षर से करना।

सिकेटरी / कोषाध्यक्ष :

1. संस्थापक ट्रस्टी / अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग करना।
2. ट्रस्ट की ओर से पत्र व्यवहार करना।
3. ट्रस्ट की कार्यवाही लिपिबद्ध करना।
4. बैठक का एजेण्डा तैयार करना।
5. ट्रस्ट के बैठकों की सूचना ट्रस्ट के सदस्यों को लिखित रूप में देना।
6. बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन व परिवर्तन संस्थापक ट्रस्टी / अध्यक्ष की अनुमति से करना।
7. ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
8. ट्रस्ट के विकास हेतु दान–अनुदान चंदा, सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा उसकी यथाविधि रसीद देना।
9. संस्थापक ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
10. बैंक खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षर से करना।

15. ट्रस्ट के अभिलेख :– ट्रस्ट के समस्त अभिलेख जैसे–सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक एवं अन्य अभिलेख संस्थापक ट्रस्टी / अध्यक्ष के पास होगा।

16. ट्रस्ट के खाते / कोष का संचालन:– ट्रस्ट का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त / राष्ट्रीयकृत बैंक / पोस्ट ऑफिस में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसका संचालन संस्थापक ट्रस्टी / अध्यक्ष एवं सिकेटरी / कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से
किया जायेगा।

17. ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा परीक्षण / आडिट :– ट्रस्ट के आय – व्यय का परीक्षण / आडिट किसी योग्य आडीटर द्वारा वर्ष में एक बार कराया जायेगा जिसकी नियुक्ति संस्थापक ट्रस्टी / अध्यक्ष के निर्णय से होगी। हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

18. ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:–

ट्रस्ट द्वारा होन` वाले समान अदालती कार्यवाही की पैरवी संस्थापक ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा की जायेगी। जिसका कार्यक्षेत्र

मो॰ वसीम शाह

आवेदन सं०: 202400902007748

न्यास पत्र

बही सं०: 4	रजिस्ट्रेशन सं०: 20	वर्ष: 2024

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 580

श्री मो० वैश शाह ,
पुत्र श्री एहसान अली शाह
व्यवसाय : कृषि
निवासी: मोहल्ला पूरे जानी कस्बा व पोस्ट व परगना व तहसील रुदौली जिला अयोध्या

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 06/08/2024 एवं 12:31:39 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अ[illegible] कुमार
उप निबंधक रुदौली
अयोध्या
06/08/2024

विनोद कुमार
निबंधक लिपिक
06/08/2024

प्रिंट करें

फैजाबाद / अयोध्या जनपद न्यायालय होगा।

19. दायित्व:— ट्रस्ट की प्रदत्त ऋणों की अदायगी उसकी उपयोगिता एवं सुरक्षा का दायित्व सभी सदस्यों का सामूहिक एव पृथक–पृथक रूप से होगा और आवश्यकता पड़ने पर बाहरी दायित्व के लिए सदस्य अपनी व्यक्तिगत् सम्पत्ति जमानत में देंगे तथा यह दायित्व ऋण अदायगी तक बना रहेगा।

20. ट्रस्ट का विघटन:— यह कि ट्रस्ट के विघटन की स्थिति में सम्पूर्ण दने दारियां चुकाने के पश्चात समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्य वाले ट्रस्ट / संस्था को नियमानुसार सौप दी जायेगी, ट्रस्ट के ट्रस्टियो का उक्त सम्पत्ति पर कोई अधिकार नही होगा।

21. ट्रस्ट के लाभार्थी :— यद्यपि यह एक सामाजिक ट्रस्ट है जिसकें लाभार्थी उस समाज व क्षेत्र के लोग होगें। परन्तु भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर सर्व समाज के उत्थान हेतु धारा 4 में उल्लेखित उद्देश्यो पर भी यह ट्रस्ट कार्य करेगा एवं उक्त कार्य सदैव आमजन के लिए ही होगे।

22. ट्रस्ट की सम्पत्ति / कोष :— यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति एवं कोष ट्रस्ट के कार्यो एवं उद्देश्यो की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जायेगा।

23. ट्रस्ट नियमो / विनियमो में संशोधन की प्रकिया :—

1. यद्यपि यह ट्रस्ट अपरिवर्तनीय होगा, ट्रस्ट की नियमावली में संशोधन / परिवर्तन करने का अधिकार बार्ड ऑफ ट्रस्टी को होगा, जिसमें संस्थापक ट्रस्टी / अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होगी, ऐसे संशोधन के लिए कम से कम एक माह पूर्व सूचना देनी होगी। संशोधन या परिवर्तन का प्रस्ताव बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के बहुमत से पारित होने पर स्वीकृत होगा। जिसमें संस्थापक ट्रस्टी / अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य है। किसी भी दशा में संशोधन ट्रस्ट के मूल हितो के प्रतिकूल नही होगा और न ही ऐसा कोई संशोधन किया जायेगा।
2. यदि कोई परिवर्तन या संशोधन जरूरी है तो पूरक कार्यो / कर्मो से प्रभावित होगा और ये मुख्य ट्रस्ट डीड के साथ एक साथ पढ़ा जायेगा।

24. ट्रस्ट के प्रबन्धकारिणी ट्रस्टीज के पदाधिकारियों / सदस्यों के नाम, पते, पद तथा जिनको इस ट्रस्ट में कार्यभार सौपा गया है।

प्रो० वंशराज

आवेदन सं०: 202400902907748

बही सं०: 1 रजिस्ट्रेशन सं०: 70 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री मो० वैश शाह, पुत्र श्री एहसान अली शाह

निवासी: मोहल्ला पुरे जामी कस्बा व पोस्ट व परगना व तहसील रुदौली जिला अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

मो० वैश शाह

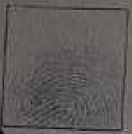

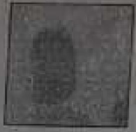

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री मोहम्मद सुहैल शाह , पुत्र श्री पप्पू शाह

निवासी: मोहल्ला पुरे जामी कस्बा व परगना व तहसील रुदौली जिला अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

मोहम्मद सुहैल शाह

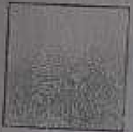

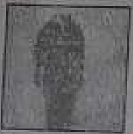

पहचानकर्ता : 2

श्री सैफ अली , पुत्र श्री साहब अली

निवासी: मोहल्ला पुरे जामी कस्बा व परगना व तहसील रुदौली जिला अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

सैफ अली

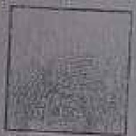

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी:

अमिता कुमारी
उप निबंधक : रुदौली
अयोध्या
06/08/2024

विनोद कुमार
निबंधक लिपिक अयोध्या
06/08/2024

प्रिंट करें

क्र0सं0	नाम पिता / पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	मो0 वैश शाह पुत्र श्री एहसान अली शाह मो0–7309305364 आधार–XXXXXXXX7548 पैन–IKZPS0346L	संस्थापक ट्रस्टी / अध्यक्ष	मोहल्ला पूरे जामी तहसील रूदौली जनपद अयोध्या	समाजसेवा
2	श्रीमती शाहीन बानो पत्नी श्री मो0 वैश शाह मो0– 6306997407 आधार–XXXXXXXX0773 पैन–EVAPB1060E	सिकेटरी / खजांची	मोहल्ला पूरे जामी तहसील रूदौली जनपद अयोध्या	गृहणी

दिनांक –05.08.2024ई0

मो0 वैश शाह

गवाह प्रथम मो0 सुहैल शाह

गवाह द्वितीय सैफ अली

मोहम्मद सुहैल शाह पुत्र पप्पू शाह निवासी मोहल्ला पूरे जामी कस्बा व परगना तहसील रूदौली जिला अयोध्या
मो0– 8840167565

सैफ अली पुत्र साहब अली निवासी मोहल्ला पूरे जामी कस्बा व परगना तहसील रूदौली जिला अयोध्या
मो0– 8923943479

विनोद कुमार एड0

विनोद कुमार एडवोकेट
पंजी0 संख्या–3985 / 2000
तहसील रूदौली जिला अयोध्या

05/08/2024

COP 134325

आवेदन सं०: 202403903007748

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 20 के पृष्ठ 1 से 22 तक क्रमांक 20 पर दिनांक 06/08/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible] कुमारी
उप निबंधक रूदौली
अयोध्या
06/08/2024

प्रिंट करें

कार्यालय उप निबन्धक
तहसील रुदौली, जिला-अयोध्या